उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-175/2023 /542/41-2023-207(बजट)/2021
लखनऊ दिनांक 14 मार्च, 2023

संख्या-57/2023/245/001-41-2023-207 budget **2021, दिनांक 25 जनवरी, 2023**

का शुद्धि पत्र

महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 8076/6-1-1(1267)/2022-23 दिनांक 28 जनवरी, 2023 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में जनपद वाराणसी के सदर तहसील के अन्तर्गत गंगा नदी के बायें तट पर स्थित ग्राम गौरा में मौनी बाबा आश्रम के सामने पक्के घाट के निर्माण एवं स्थल के पर्यटन विकास कार्य की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या-57/2023/245/001-41-2023-207-Budget-2021, दिनांक 25 जनवरी, 2023 के पृष्ठांकन बिन्दु सं0-04 में मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी एततद्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 25 जनवरी, 2023 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, वाराणसी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- **मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।**
6- श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, (स्तर-1) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग , विन्ध्याचल उ0प्र0 ।
8- अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी उ0प्र0 ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- उप निदेशक,पर्यटन वाराणसी/क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, वाराणसी मण्डल।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।